मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, २०१६

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.

भाग—एक

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) का संशोधन.

२. धारा २ का स्थापन.

३. धारा ३ का स्थापन.

भाग—दो

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) का संशोधन.

४. धारा ३ का संशोधन.

५. धारा ४ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ एवं मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

भाग—एक

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) का संशोधन.

धारा २ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन.

"२. अध्यक्ष को सैंतालीस हजार रुपये तथा उपाध्यक्ष को पैंतालीस हजार रुपये प्रतिमास वेतन दिया जाएगा.

धारा ३ का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को सत्कार भत्ता, निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता तथा दैनिक भत्ता.

"३. (१) अध्यक्ष को अड़तालीस हजार रुपए प्रतिमास सत्कार भत्ता तथा उपाध्यक्ष को पैंतालीस हजार रुपए प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जाएगा.

(२) अध्यक्ष को पैंतालीस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता तथा उपाध्यक्ष को पैंतीस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

(३) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाएगा.".

भाग—दो

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) का संशोधन.

धारा ३ का संशोधन

४. मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में, शब्द "सत्ताईस हजार" के स्थान पर, शब्द "पैंतालीस हजार" स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द ''तीस हजार'' के स्थान पर, शब्द ''पैंतालीस हजार'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द ''सत्ताईस हजार'' के स्थान पर, शब्द ''पैंतीस हजार'' स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (३) में, शब्द ''एक हजार दो सौ'' के स्थान पर, शब्द ''एक हजार पांच सौ'' स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हाल ही के वर्षों में मुद्रास्फीति के कारण, यह आवश्यक हो गया है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि की जाए.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख : ३० मार्च, २०१६.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित''.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २, ३, ४ और ५ में प्रस्तावित प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानतः रुपये २०,६४,०००/- (रुपये बीस लाख चौसठ हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) से उद्धरण.

*   *   *   *

धारा २. अध्यक्ष को सत्ताईस हजार रुपये और उपाध्यक्ष को पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास वेतन दिया जायेगा.

धारा ३. (१) अध्यक्ष को तीस हजार रुपये और उपाध्यक्ष को पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जायेगा.

(२) अध्यक्ष को सत्ताईस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता और उपाध्यक्ष को सत्ताईस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

(३) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को एक हजार दो सौ रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जायेगा.

*   *   *   *

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) से उद्धरण.

*   *   *   *

धारा ३. नेता प्रतिपक्ष को सत्ताईस हजार रुपये प्रतिमास वेतन दिया जायेगा.

धारा ४. (१) नेता प्रतिपक्ष को तीस हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जायेगा.

(२) नेता प्रतिपक्ष को सत्ताईस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

(३) नेता प्रतिपक्ष को एक हजार दो सौ रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जायेगा.

*   *   *   *

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.